

12²/₂₄

पत्रावली पेश हुई। मूलवाद धारा 177 आरटीए निर्णित किया जा चुका है। मूलवाद के निर्णित होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः मूल वाद निर्णित होने की दशा में पत्रावली निस्ताररित होकर संलग्न मूल वाद रहे तथा दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

06/24
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

